न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : श्री बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 गणेशा पुत्र दरगाराम		1 कस्तूरा पुत्र कछालजी
2 नाथुराम पुत्र दगाराम		2 तगा पुत्र कछालजी
3 वरदाराम पुत्र दरगाराम		3 लासी पत्नि वेलाजी
4 रणछोड पुत्र दरगाराम		4 जीवा पुत्र वेलाजी
5 लक्ष्मण पुत्र चतराराम		5 मीना पुत्री वेलाजी
6 रखमादेवी पत्नि चतराराम जातिगण सुथार निवासीगण पामेरा तहसील रेवदर		6 मका पुत्री वेलाजी 7 डिम्पल पुत्री वेलाजी 8 आशा पुत्री वेलाजी नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता लासीदेवी पत्नि वेलाजी 9 लाला पुत्र कछालजी 10 छोगा पुत्र कछालजी जातिगण सुथार निवासीगण पामेरा तहसील रेवदर 11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेवदर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री प्रवीण कुमार शाह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 10

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07.11.2017

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 85/2014 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 11 के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया एवं साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया।, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, किन्तु उसके बाद अपीलाण्ट की जानकारी के बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से विधि विरूद्ध है। उक्त प्रकरण में दिनांक 20.10.2016 को पेशी नियत की गई थी। अपीलाण्ट्स को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

दिनांक 13.07.2016 को कैम्प की कोई सूचना नही दी गई तथा न ही अपीलाण्ट को कैम्प की कोई जानकारी दी गई। मौजा पामेरा के खसरा नम्बर 208 रकबा 8.10 बीघा भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है, जिस पर अपीलाण्ट अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे है। सेटलमेन्ट के समय उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के पिता का नाम दर्ज होना चाहिए था, किन्तु राजस्व रेकर्ड में कछाल जी का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स को वादस्थ आराजी में अपीलाण्टगण के कब्जे काश्त में दखल करने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उससे भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स अपने पिता के समय से लगातार बतौर खातेदार काबिज है। इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे।

वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश राजस्व लोक अदालत में किया गया है, जिसकी पक्षकारों को पूर्व सूचना दी गई थी तथा समुचित सुनवाई कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इसके उपरान्त भी यदि प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो रेस्पोडेन्ट्स को कोई आपत्ति नही है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। मातहत अदालत के जैर अपील आदेश का अवलोकन किया। जैर अपील आदेश की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 08.07.2016 को पीठासीन अधिकारी कैम्प में होने से पत्रावली दिनांक 20.10.2016 को पेश करने हेतु नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 13.07.2016 को पत्रावली बिना किसी आदेश तथा पूर्व सूचना के न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सिरोही में सुनवाई करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 20.10.2016 से पूर्व पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार का न तो आदेश जारी किया गया तथा न ही पक्षकारों को किसी प्रकार की सूचना जारी की गई। जो विधि सम्मत नही है। इसके अतिरिक्त वकील रेस्पोडेन्ट ने भी किसी प्रकार की आपत्ति नही होना जाहिर किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 85/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ मातहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी मातहत अदालत को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कोर्ट कैम्प सिरोही
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही